न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 05/2019 आर्म्स अपील (GCMS/2019/00072)
पंजीयन दिनांक - 16.10.2019
निर्णय दिनांक - 29.11.2021

1. **फयाज मोहम्मद पिता रियाज मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, राजनगर, पुलिस थाना राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री प्रणय सनाढ्य - अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2019

निर्णय

दिनांक 29.11.2021

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- तहसीलदार, राजसमन्द समक्ष अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या-10/98 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, उसके नवीनीकरण के लिये अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2018 से नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया जिसकी अपील जिला कलक्टर समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर द्वारा पुलिस विभाग की जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य-अपीलार्थी के विरूद्ध 12/2004 धारा-341, 323, 34 भादस दर्ज होकर 18.01.2007 से सजा कर 200/- जुर्माना किया गया है, के आधार पर अपील को खारिज कर निर्णय दिनांक 12.09.2019 पारित किया।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्याालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष दिनांक 10.10.2019 को प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अनुज्ञा पत्र वर्ष 1998 से लगातार नवीनीकृत कराया गया। केवल मात्र लधु अपराध जो कि वर्ष 2007 किये जाना बताया है, के आधार पर अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने से इन्कार किया जबकि उसके उपरान्त अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को वर्ष 2016 तक नवीनीकृत किया गया। परन्तु कथित अपराध के आधार पर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का निरस्ती आदेश दिनांक 19.09.2019 को पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र का भी दुरूपयोग नहीं किया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्णय में लोकशान्ति की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक सुरक्षा की हानि होने का कोई उल्लेख नहीं किया। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजात को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाये जाने एवं अपीलार्थी के पक्ष में आर्म्स लाईसेंस जारी किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त-2016(3) सीआर.एल.आर. (राज0) 1292 प्रस्तुत किया।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद तथ्य प्रकट होता है कि अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक के लिए नवीनीकरण किया किया गया था इस दिनांक से आगे नवीनीकरण हेतु अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से भी होती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के निर्णय में जिस अपराध को आधार बनाया गया है, वह अपराध दिनांक 29.02.2004 को होकर न्यायालय से निर्णय दिनांक 18.01.2007 से अपीलार्थी को सजा कर 200 रूपये जुर्माना आरोपित किये जाने का अकंन किया गया है। यह प्रकट होता है कि दिनांक 18.01.2007 के उपरान्त भी अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया गया जो दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य को पूर्णतया नजरअंदाज किया गया और केवल मात्र पुलिस विभाग की वर्ष 2004 के अपराध को आधार मानकर नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त किया जो पूर्णतया अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31. 12.2016 तक अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत किया गया, अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु वही प्रक्रिया

अपनाई गई होगी जो हस्तगत अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के आवेदन पर अपनाई गई होगी। यदि अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत किया जाना उचित नहीं होता तो सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 2004 उपरान्त अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाता है। अनुज्ञा पत्र निरस्त करने एवं वर्ष 2007 के उपरान्त अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण दिनांक को कोई मामला लम्बित नहीं था। किसी पहलु पर और लाईसेंस के बारम्बर नवीनीकरण पर विचार किये बिना मशीनी तौर पर आदेश पारित किया गया है। ऐसे में यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय एवं सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों की पूर्ण जांच न कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं समझता है और यह पाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पर पुनः जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना उचित है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से सुसंगत होने से चस्ता होता है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश/निर्णय को निरस्त किया जाता है। सक्षम अनुज्ञापन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर